# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 114/2026

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.03.2026

## प्रेस – नोट
## जनपद – आजमगढ़

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत जनपद में फर्जी पासपोर्ट मामलों में पिछले 06 महीनों में विभिन्न थानों पर अब तक कुल 12 मुकदमे दर्ज

## कुल 12 अभियुक्त चिन्हित, अब तक कुल 05 अभियुक्त किये गये गिरफ्तार, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

## कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से पासपोर्ट बनवाने वाले नेटवर्क पर सख्ती

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में* फर्जी पासपोर्ट एवं कूटरचित दस्तावेजों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन जांच, सत्यापन एवं प्रभावी कार्यवाही की गई।

## अभियान/कार्रवाई का विस्तृत विवरण-

कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से पासपोर्ट बनवाने के मामले में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों पर पिछले छः महीनों में फर्जी पासपोर्ट/कूटरचित दस्तावेजों से संबंधित कुल 12 अभियोग पंजीकृत

किए गए हैं। इन अभियोगों में कुल 12 अभियुक्तों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए अब तक 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है, जबकि शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही है।

जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्तों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नाम, पता व अन्य पहचान संबंधी विवरणों में परिवर्तन करते हुए अवैध रूप से पासपोर्ट बनवाया जाता था तथा इसके माध्यम से विदेश यात्रा व अन्य लाभ प्राप्त किए जाते थे।

## मुकदमों का विवरण-

01. मु0अ0सं0 439/2025, धारा 419,420,467,468,471भादवि व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

02. मु0अ0सं0 370/2025, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

03. मु0अ0सं0 357/2025, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़।

04. मु0अ0सं0 408/2025, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

05. मु0अ0सं0 373/2025, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

06. मु0अ0सं0 465/2025, धारा 419,420 भादवि व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

07. मु0अ0सं0 17/2026, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

08. मु0अ0सं0 19/2026, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

09. मु0अ0सं0 31/2026, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

10. मु0अ0सं0 55/2026, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

11. मु0अ0सं0 36/2026, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

12. मु0अ0सं0 46/2026, धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 12(1) बी पासपोर्ट अधिनियम, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अब्दुल्लाह पुत्र वलीद अहमद निवासी ग्राम मदारपुर थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मो0 अबूशाद पुत्र शाह मोहम्मद निवासी ग्राम मंगरावा रायपुर, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. रिजवान अहमद पुत्र सिद्दिकी अहमद, निवासी ग्राम सुरही पोस्ट फरिहा थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
4. प्रमोद कुमार गौर पुत्र देवीचरन गौर, निवासी ग्राम सदरपुर बरौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
5. जितेन्दर पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम व पोस्ट कौरागहनी करुई थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

## अपराध का तरीका (Modus Operandi)-

अभियुक्तों द्वारा सुनियोजित तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पहचान संबंधी विवरणों में हेरफेर किया जाता था तथा इन दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया जाता था। इसके माध्यम से विदेश यात्रा एवं अन्य लाभ प्राप्त किए जाते थे।

## आगे की कार्यवाही-

शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीमें गठित कर निरंतर दबिश दी जा रही है तथा प्रकरणों की विवेचना प्रचलित है। दोषियों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि इस प्रकार के अपराध की सूचना तत्काल पुलिस को दें।